प्रेस नोट दिनांक- 03.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा " आत्महत्या के लिए उकसाना" के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मो0 वासिर गिरफ्तार-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ चौराहे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम नूरपुर कांसापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ की बहन की शादी वर्ष 2018 में मो0 बासिर निवासी बहलोलपुर थाना कोतवाली देहात के साथ हुई थी, जहां ससुरालीजन द्वारा दहेज व संतान न होने को लेकर निरंतर प्रताड़ित किया जाता था। दिनांक 01.04.2026 को सूचना मिली कि उसकी बहन ने विषाक्त पदार्थ सेवन कर लिया है, जिन्हें उपचार हेतु ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वादी द्वारा ससुरालीजनों पर उत्पीड़न एवं घटना में संलिप्तता का आरोप लगाया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 84/2026 धारा 85, 108 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे का० दुर्गविजय व का0 रामकेश यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0084/2026 धारा 85/108 बीएनएस से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त मो0 वासिर पुत्र मो0 शब्बीर उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत भूपियामऊ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 वासिर पुत्र मो0 शब्बीर उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 वरुण कुमार सिंह मय हमराह हे का० दुर्गविजय व का0 रामकेश यादव थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: सांगीपुर में घर का ताला तोड़कर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का माल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को चोरी की 01 अदद बैट्री, 01 अदद इन्वर्टर मशीन के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत सगरा सुन्दरपुर रोड पर कृतपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम पहाड़पुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ दिनांक 01.04.2026 को मुंबई से अपने घर वापस आया, तब उसे ज्ञात हुआ कि उसके अनुपस्थित रहने के दौरान अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर में प्रवेश कर चोरी की घटना कारित की गई है। चोरों द्वारा घर से इन्वर्टर एवं बैटरी, पीतल के बर्तन तथा अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया गया है। वादी को संदेह है कि उक्त चोरी की घटना में उसके ही गांव का निवासी नानू संलिप्त हो सकता है। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 305 (a)बीएनएस बनाम का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर के उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 संदीप कुमार व का0 रामप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 61/2026 धारा 305(a)बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त प्रभाकर मिश्रा उर्फ नानू पुत्र रजनीकान्त मिश्रा निवासी ग्राम पहाडपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष को चोरी की 01 अदद बैट्री, 01 अदद इन्वर्टर मशीन के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत सगरा सुन्दरपुर रोड पर कृतपुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद बैट्री, 01 अदद इन्वर्टर मशीन बरामद की गई। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त प्रभाकर मिश्रा उर्फ नानू द्वारा बताया गया कि मैं व मेरे गांव के ही सौरभ दुबे पुत्र रामचन्द्र दूबे तथा दिवाकर दुबे पुत्र स्व.कृष्ण चन्द्र दूबे ने मिलकर मेरे घर के बगल स्थित घर में कुछ दिन पहले चोरी किये थे। घर में कोई रहता नही है उनका पुरा परिवार मुम्बई में रहता है इसलिए चोरी के बारे में कोई जान नही पाया। कल दिनांक 01.04.2026 को वादी घर आया और चोरी के सम्बन्ध में आसपास के लोगो को बताने लगा तथा आज मुझे ज्ञात हुआ कि वादी ने थाने पर जाकर चोरी के सम्बन्ध में मुकदमा लिखा दिया है तो मै घर से इलाहाबाद जाने के लिए घर से निकला ही था कि आपलोगो ने पकड लिया। प्रभाकर मिश्रा उर्फ नानू उक्त से चोरी किये गये इन्वर्टर मशीन व बैटरी,पीतल के बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओ के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताया कि मुझे सिर्फ इन्वर्टर मशीन व बैटरी के सम्बन्ध में जानकारी है बाकी पीतल के बर्तन व अन्य घरेलू वस्तुओ के सम्बन्ध में आप मेरे ही गांव के सौरभ दुबे व दिवाकर दुबे से पूछताछ करिये तो पता चलेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. प्रभाकर मिश्रा उर्फ नानू पुत्र रजनीकान्त मिश्रा निवासी ग्राम पहाडपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद बैट्री, 01 अदद इन्वर्टर मशीन बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 संदीप कुमार व का0 रामप्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 जमाल को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 01.04.2026 को वादी निवासी ग्राम नौवापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का पुत्र गांव स्थित दुकान पर सामान लेने गया था, जहां ग्राम मज्हिगवा पठानौती थाना मंधाता के कैफ, जमाल, शेबू, अजीज, शेरू व अन्य 15-20 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों, ईंट-पत्थर व लोहे की रॉड से मारपीट की गई, जिससे वादी के पुत्र को गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि जमाल द्वारा जान से मारने की नीयत से हमला किया गया तथा जाते समय आरोपियों द्वारा उसका मोबाइल व नकदी छीनकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 109 (1)/191 (2)/191 (3)/190/333/115 (2)/352/351 (3) बी0एन0एस0 बनाम 05 नामजद व 15-20 नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह हे0का0 इसरार अहमद द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 50/2026 धारा 109 (1)/191 (2)/191 (3)/190/333/115 (2)/352/351 (3) बी0एन0एस0 थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 जमाल पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम मझिगवां थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि दिनांक 01.04.2026 को ग्राम नौवापुर के वादी के लड़के से हम लोगो की लड़ाई हुयी थी। जिसमे हम लोगो के विरुद्ध थाना देल्हूपुर में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसी डर से मै भागना चाह रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 जमाल पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी ग्राम मझिगवां थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 51 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह हे0का0 इसरार अहमद थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सों एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त जावेद आलम को किया गया गिरफ्तार-

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गौरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 शिशिर पटेल व उ0नि0 गुलाब सिंह मय हमराह का0 नवीन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 74 / 352 / 351 (3) / 65 (2) बी0एन0एस0 व 9m / 10 व 5m / 6 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त जावेद आलम

पुत्र रईस अहमद उम्र करीब 47 वर्ष निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत गौरी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. जावेद आलम पुत्र रईस अहमद निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 47 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शिशिर पटेल व उ0नि0 गुलाब सिंह मय हमराह का0 नवीन यादव थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत गंगादीन मौर्या दुकान के सामने धरौली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 नदीम खान, का0 विपिन कुमार पाल, का0 सुनील यादव, म0का0 रितेश राणा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 69/351 (3) बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद से संबंधित 01 अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र अमृतलाल सरोज नि०ग्राम मौर्य नगर मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष के पीड़िता के साथ पूर्व से संबंध थे जिसमें शादी का झांसा देकर अभियुक्त उपरोक्त बार-बार दुष्कर्म करता रहा, को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत गंगादीन मौर्या दुकान के सामने धरौली रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. सुनील कुमार पुत्र अमृतलाल सरोज नि०ग्राम मौर्य नगर मऊदारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

पुलिस टीम-
व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह उ0नि0 नदीम खान, का0 विपिन कुमार पाल, का0 सुनील यादव, म0का0 रितेश राणा थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा "अपहरण" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 आजाद उर्फ तौफीक को गिरफ्तार किया गया-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल सोलंकी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 108/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त मो0 आजाद उर्फ तौफीक पुत्र नाजिर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पूरे तिलक राम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 आजाद उर्फ तौफीक पुत्र नाजिर उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम पूरे तिलक राम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 राहुल सोलंकी थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 ज्ञान चन्द्र तिवारी मय हमराह का0 राहुल यादव द्वारा मु0न0 2223/12 अ0सं0 358/12 धारा 379/411 भादवि थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम सराय ओसान थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. धर्मेन्द्र पुत्र मेवालाल निवासी ग्राम सराय ओसान थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 ज्ञान चन्द्र तिवारी मय हमराह का0 राहुल यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।